

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प. 1 (74)वन/2015

जयपुर, दिनांक :-

उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
जयपुर बी-ब्लॉक, अरण्य भवन,
झालाना, जयपुर।

विषय:- Diversion of 2.27 ha forest land for Construction of road from
Hinglot to Madnakheri in Rajasthan in Baran Forest Division
(Proposal No. - FP/RJ/ROAD/10911/2015)

संदर्भ:- सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक 8बी/राज0/06/35/2015/एफ.सी.
/857 दिनांक 03.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में प्रधान मुख्य वन
संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 14(
)2015/बारा रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/3197 दिनांक 14.11.2024 से प्रेषित
अनुपालना रिपोर्ट मय राज्य सरकार की अभिशंभा सहित प्रेषित कर, अनुरोध है कि
विषयाकित्त प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक स्वीकृति जारी करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : उक्तानुसार।

भवदीय

(बीजो जॉय)
विशिष्ट शासन सचिव, वन

Document certified by BIJO JOY
<Joybijo@gmail.com>

Digitally Signed by Bijo Joy
Designation : Special
Secretary To Government
Date :22-11-2024 06:04:03

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ 14()2015/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं 3197 दिनांक 14/11/24

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot to Madnkheri in Rajasthan in Baran Forest Division (प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज/06/35/2015/एफसी/517 दिनांक 03.09.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्रांक 6172 दिनांक 25.10.2024 से प्राप्त हुई है। प्राप्त पालना के आधार पर सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट बिन्दुवार प्रेषित हैं:-

S.No	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट का विवरण
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक गैर वन भूमि सौंपने के बाद ही वन भूमि पर कार्य किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department over 2.27 ha equivalent non-forest land in (Compartment Khasra No. Not provided, Village Sorsan, Tehsil Anta, District Baran) at the cost of the user agency. As far as possible. A mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.27 हेक्टेयर समतुल्य गैर वन भूमि (कम्पार्टमेंट खसरा नम्बर 1173 प्रदान कर दिया गया है।, ग्राम सोरसन तहसील अन्ता जिला बारां) पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहाँ तक संभव हो। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का मिश्रण लगाया जाएगा ताकि किसी भी प्रजाति की मोनोकल्चर से बचा जा सकता है।

4	The non-forest land has to be transferred and matated in favour of the State Forest Department.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर वन भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित और परिवर्तित कर दिया गया है एवं उक्त वन क्षेत्र को अधिसूचित करवा लिया गया है। प्रति संलग्न है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	यूजर एजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 509850/-रु दिनांक 21.02.2024 को कार्पोरेशन बैंक में आनलाईन जमा करा चालान की प्रति संलग्न की गई है।
6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.27 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003. as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	राज्य सरकार को 2.27 हेक्टेयर के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राशि 2174160.60 चालान द्वारा दिनांक 21.02.2024 को जमा करा चालान की प्रति संलग्न की गई है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 30.10.2022, 01.08.2023, 28.03.2008, 24.04.2008 के आदेश के अनुसार उपयोक्ता एजेन्सी से इस प्रस्ताव के तहत वन क्षेत्र को डायवर्ट किया जाना है। 09.05.2008 को आईए संख्या 566 में डब्ल्यूपी (सी) संख्या 202/1995 में और मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या 5-1/1998 एफसी दिनांक 18/09 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 2003 साथ ही इस संबंध में पत्र संख्या 5-2/2006 एफसी दिनांक 03/10/2006 5-3/2007-एफसी दिनांक 05/02/2009 इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है। CA - 509850/- NPV - 2174161/- PCA - 344801/- Total 3028812/-
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee. Shall be charged	एन.पी.वी की दरों में बढ़ोतरी होने पर बढ़ी हुई राशि यूजर एजेन्सी द्वारा जमा कराई जायेगी। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।

	by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	एफ.आर.ए का पूर्ण अनुपालन 2006 संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से तैयार करवाकर संलग्न कर दिया गया है। प्रति संलग्न है।
9	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा आई.आर.सी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों ओर केंद्रीय कगार पर पट्टी वृक्षारोपण करा दिया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
10	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas / Forest Area.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्र में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे गति नियामक साइनेज उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के खर्चे पर लगा दिए जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
11	The user agency shall provide suitable under over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW/ NBWL / FAC / REC.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सी.डब्ल्यू.एल. डब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अण्डर ओवर पास बना दिये जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
12	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the Provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	प्रयोक्ता अभिकरण यदि लागू होगी तो उपयोगकर्ता एजेन्सी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर लेगी। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, परिवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर जमीन पर उपयुक्त सीमांकित कर दिया गया है। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।

14	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
15	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
16	Sufficient firewood. Preferably the alternate fuel. Shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्याप्त जलाऊ लकड़ी अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन। श्रमिक को राज्य वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद ही प्रदान किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के क्रियान्वयन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त नये पथ का निर्माण बिना स्वीकृति के नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
18	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life. Whichever is less.	इस अनुमोदन के तहत डायवर्जन की अवधि उपयोगकर्ता एजेन्सी या परियोजना जीवन के पक्ष में दिए जाने वाले पट्टे की अवधि के साथ सहवर्ती होगी जो भी कम हो। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without priour approval of Govt. of india.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा डायवर्ट की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।

21	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the Moff&CC Guideline F.No. 11-42-2017-FC dt 29/01/2018.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दण्डात्मक राशि 344801/- रू दिनांक 21.02.2024 को आनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति संलग्न की गई है।
22	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आलौच्य प्रकरण में वाईलेशन किया गया है तथा दण्डात्मक राशि 344801/- रू दिनांक 21.02.2024 को आनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति संलग्न की गई है।
23	Any other condition that the Ministry of Enviornment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forests & wildlife.	भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यदि अन्य शर्तें /नियम लागु करती है तो उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा समय - समय पर उनका पालन किया जायेगा।
24	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आलोच्य प्रकरण में निम्नानुसार राशि जमा करायी गई है:- CA - 509850/- NPV - 2174161/- PCA - 344801/- Total 3028812/-
25	The compliance report shall be uploaded on e-portal	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपर उल्लिखित शर्तों की पूर्ति कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha
(शिखा मेहरा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14()2015/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं दिनांक
प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the payment yet to be made.

: This icon shows that the challan has been generated.

: This icon shows that the payment has been made.

Proposals received on or after 15th July 2014 All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region :

Select User Agency :

Payment Status : Paid Unpaid All

Bank Name :

Transaction Date (From) :

Enter value for Search :

Select State :

Mode of Payment :

Transaction Date (To) :

SEARCH

Sno	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/10911/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/10911/2015) Construction of road from Hinglo to madnakeri	ROAD/0911201543203	03 Sep 2020	CA: 509850/- Addl CA: 0/- PCA: 244804/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 217415/- nil: 0/- nil: 0/- nil: 0/- Total :3028912/-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On 23 Jan 2024 Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 23 Jan 2024 Transaction Date 21 Feb 2021	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/160120241811071154_FPRROAD109112015_User_Fund_De) Generated Challan (./User/Account/Neil_ChallanComp.aspx?pid=ROAD109112015132)

Verified

[\(HTTPS://SWACHHBHARAT.GOV.IN/\)](https://swachhbharat.gov.in/)
[\(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN/\)](http://www.digitalindia.gov.in/)
[\(HTTPS://DATA.GOV.IN/\)](https://data.gov.in/)
[\(HTTPS://WWW.INDIA.GOV.IN/\)](https://www.india.gov.in/)
[\(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/\)](https://www.mygov.in/)

[\(HTTP://MEITY.GOV.IN/\)](http://meity.gov.in/)
[\(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/\)](http://www.pmindia.gov.in/en/)
[\(HTTP://WWW.NIC.IN/\)](http://www.nic.in/)



सत्यमेव जयते

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, जून 19, 2024

संख्या प. 2(20)वन/2024 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबंद नहीं किये हैं।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबंद किया जाना आवश्यक है। परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तिगत अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबंद करने हेतु नियुक्त करती है। तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11, (1) 12,13,14,17,18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वनभूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी। और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के ये वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज.पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित (Reserved) हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरो को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्न - प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

विशिष्ट शासन सचिव, वन ।

प्रथम अनुसूची								
क्र.स.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा विवरण	नाम ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हैक्टर मे	भूमि किस्म
1	सोरसन डी भाग- 1	अंता	बारां	उत्तर:- राजस्व भूमि ख. न. 115 दक्षिण:- राजस्व भूमि आम रास्ता ख. न. 1174 पश्चिम:- सरहद ग्राम मानपुरा पूर्व:- राजस्व भूमि ख. न. 1172	सोरसन	1173	19.15	गै.मु.जंगल
					योग	1 किता	19.15	
	सोरसन डी भाग- 2	अंता	बारां	उत्तर:- राजस्व भूमि आम रास्ता ख. नं. 1174 दक्षिण:- राजस्व भूमि ख. न. 1178 पश्चिम:- सरहद ग्राम खरखडा पूर्व:- राजस्व भूमि ख. न. 1180,1181च 1188	सोरसन	1175	19.76	गै.मु.जंगल
						1176	2.00	गै.मु.जंगल
						2198 /1176	16.06	गै.मु.जंगल
						1177	18.66	गै.मु.जंगल
					योग	4 किता	56.48	
					महायोग	5 किता	75.63	

हस्ताक्षर

सर्वेयर
उप वन संरक्षक,
बारां

हस्ताक्षर

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक,
बारां

प्रथम अनुसूची								
क्र.स.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा विवरण	नाम ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हेक्टर मे	भूमि किस्म
1	सोरसन डी भाग- 1	अंता	बारां	उत्तर:- राजस्व भूमि ख. न. 115 दक्षिण:- राजस्व भूमि आम रास्ता ख. न. 1174 पश्चिम:- सरहद ग्राम मानपुरा पूर्व:- राजस्व भूमि ख. न. 1172	सोरसन	1173	19.15	गै.मु.जंगल
					योग	1 किता	19.15	
	सोरसन डी भाग- 2	अंता	बारां	उत्तर:- राजस्व भूमि आम रास्ता ख. न. 1174 दक्षिण:- राजस्व भूमि ख. न. 1178 पश्चिम:- सरहद ग्राम खरखडा पूर्व:- राजस्व भूमि ख. न. 1180,1181व 1188	सोरसन	1175	19.76	गै.मु.जंगल
						1176	2.00	गै.मु.जंगल
						2198 /1176	16.06	गै.मु.जंगल
						1177	18.66	गै.मु.जंगल
					योग	4 किता	56.48	
					महायोग	5 किता	75.63	

हस्ताक्षर

सर्वेयर
उप वन संरक्षक,
बारां

हस्ताक्षर

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक,
बारां

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

प्रमाण पत्र

जिला:- बारां

तहसील:- अन्ता

रेंज:- अन्ता

वनखण्ड:- सौरसन डी भाग 1 व 2

ग्राम:- सौरसन

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी वन भूमि का वर्गीकरण राजस्व रिकार्ड में महकमा जंगलात कर दिया गया है। जिस विज्ञप्ति में विस्तृत रूप से खसरा नम्बर विवरण सहित दर्शाया गया है।
2. वर्तमान राजस्व लेखों में महकमा जंगलात दर्ज है। मौके पर विभाग द्वारा वृक्षारोपण विकास कार्यो कराये जाने की सम्भावना है। इस क्षेत्र में वर्तमान में अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र का राजस्व जमाबन्दी में महकमा जंगलात कर दिया है।
3. भूमि पर वृक्षो का घनत्व 0.0 से 0.2 है।
4. सीमावृती क्षेत्र की स्थिति खातेदारी नदी, नाले व वन भूमि है। तथा सीमा का उल्लेख एवं खसरा नं. व रकबा विज्ञप्ति में दर्ज कर दिया गया है।
5. वनखण्ड का मानचित्र नक्शा संलग्न है। जिसमें खसरा नं. व रकबा दर्ज है। एवं जी.टी. शीट की छायाप्रति संलग्न है।
6. प्रस्तावित वनो के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीये गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे जिले की भूमि पर विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सकें।
7. राजस्व अभिलेखो में अमलदरामद वन विभाग के नाम हो रहा है।
8. उपरोक्त वनखण्ड भूमि ल्हासी एवं विभिन्न सडक परियोजनायो (संलग्न सूची) में आई वन भूमि के बदले आवंटित गैर वन भूमि है। चूकि उक्त आदेश में इस वन मंडल अधीन वन संरक्षण अधिनीयम 1980 के तहत चल रहे 24 प्रकरणो में इकजाई 103.40 हे० भूमि का आवंटन हुआ है। संलग्न आदेश है।
9. उक्त क्षेत्र सौरसन कन्जर्वेशन रिजर्व तृतीय के रूप में अधिसूचित हो चुका है। (प्रति संलग्न)

हस्ताक्षर

सर्वेयर
उप वन संरक्षक,
बारां

हस्ताक्षर

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक,
बारां

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2024-25/6172 दिनांक: 25.10.2024

निमित्त:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
(एफ.सी.ए.)राजस्थान जयपुर।

विशय:- Diversion of 2.27 ha. Of forest land for construction of road from Hinglot to Madnakheri.

प्रसंग:- उष वन संरक्षक, बारां 8389 दिनांक 17.10.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

FCA
5/11/24

महोदय,

1824
5/11/24

Road
5/11

Answer
7/11/24

शर्त सं०	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट का विवरण
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा आवश्यक गैर वन भूमि सौंपने के बाद ही वन भूमि पर कार्य किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department over 2.27 ha equivalent non-forest land in (Compartment Khasra No. Not provided, Village Sorsan, Tehsil Anta, District Baran) at the cost of the user agency. As far as possible. A mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	शर्त सं. 3 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी की लागत पर 2.27 हेक्टेयर समतुल्य गैर वन भूमि (कम्पार्टमेंट खसरा नम्बर 1173 प्रदान कर दिया गया है।, ग्राम सोरसन तहसील अन्ता जिला बारां) पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहाँ तक संभव हो। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का मिश्रण लगाया जाएगा और किसी भी प्रजाति की मोनोकल्चर से बचा जा सकता है। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
4	The non-forest land has to be transferred and matated in favour of the State Forest Department.	शर्त सं. 4 की अनुपालना में गैर वन भूमि को राज्य वन विभाग में स्थानान्तरित किया जाएगा। Digitally signed by Ram Kharan Khairwa Designation: Chief Conservator Of Forest Date: 2024.10.24 14:25 IST Reason: Approved

Signature valid

Digitally signed by Ram Kharan Khairwa
Designation: Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.10.24 14:25 IST
Reason: Approved

<p>5 The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.</p>	<p>भारत सं. 5 की अनुपालना में यूजर एजेंसी द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 509850/-रु दिनांक 21.02.2024 को कारपोरेशन बैंक में आनलाईन जमा करा चालान की प्रति संलग्न की गई है।</p>
<p>6 The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.27 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003. as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.</p>	<p>शर्त सं. 6 की अनुपालना में राज्य सरकार को 2.27 हेक्टेयर के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राशि 2174160.60 चालान द्वारा दिनांक 21.02.2024 को जमा करा चालान की प्रति संलग्न की गई है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 30.10.2022, 01.08.2023, 28.03.2008, 24.04.2008 के आदेश के अनुसार उपयोक्ता एजेंसी से इस प्रस्ताव के तहत वन क्षेत्र को डायवर्ट किया जाना है। 09.05.2008 को आईए संख्या 566 में डब्ल्यूपी (सी) संख्या 202/1995 में और मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या 5-1/1998 एफसी दिनांक 18/09 के तहत जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार 2003 साथ ही इस संबंध में पत्र संख्या 5-2/2006 एफसी दिनांक 03/10/2006 5-3/2007-एफसी दिनांक 05/02/2009 इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।</p>
<p>7 Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee. Shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.</p>	<p>शर्त सं. 7 की अनुपालना में एन.पी.वी की दरों में बढोतरी होने पर बढी हुई राशि यूजर एजेंसी द्वारा जमा कराई जायेगी। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।</p>

RajKaj Ref
11383072

Signature valid

Digitally signed by Ram Karan Khairwa
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.10.24 11:14:25 IST
Reason: Approved

8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त सं. 8 की अनुपालना में एफ.आर.ए का पूर्ण अनुपालन 2006 संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से तैयार करवाकर संलग्न कर दिया गया है। प्रति संलग्न है।
9	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	शर्त सं. 9 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा आई.आर.सी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों और केंद्रीय कगार पर पट्टी वृक्षारोपण करा दिया जायेगा। परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के तकमीने में नहीं लिया गया है। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
10	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas / Forest Area.	शर्त सं. 10 की अनुपालना में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्र में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे गति नियामक साइनेज उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के खर्च पर लगा दिए जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
11	The user agency shall provide suitable under over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.	शर्त सं. 11 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा सी.डब्ल्यू.एल.डब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अण्डर ओवर पास बना दिये जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
12	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the Provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	शर्त सं. 12 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी यदि लागू होगी तो उपयोगकर्ता एजेन्सी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर लेगी। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त सं. 13 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, परिवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर जमीन पर उपयुक्त सीमांकित कर दिया गया है। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।

RajKaj Ref
11383072

Signature valid

Digitally signed by Ram Karan Khairwa
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.10.24 17:14:25 IST
Reason: Approved

14	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त सं. 14 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
15	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त सं. 15 की अनुपालना में प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
16	Sufficient firewood. Preferably the alternate fuel. Shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त सं. 16 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा पर्याप्त जलाऊ लकड़ी अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन। श्रमिक को राज्य वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद ही प्रदान किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	शर्त सं. 17 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना कार्य के क्रियान्वयन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त नये पथ का निर्माण बिना स्वीकृति के नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
18	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life. Whichever is less.	शर्त सं. 18 की अनुपालना में इस अनुमोदन के तहत डायवर्जन की अवधि उपयोगकर्ता एजेन्सी या परियोजना जीवन के पक्ष में दिए जाने वाले पट्टे की अवधि के साथ सहवर्ती होगी जो भी कम हो। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त सं. 19 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।

RajKaj Ref
11383072

Signature valid

Digitally signed by Ram Karan Khairwa
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.10.24 14:25 IST
Reason: Approved

20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without priour approval of Govt. of india.	शर्त सं. 20 उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा डायवर्ट की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
21	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the Moff&CC Guideline F.No. 11-42-2017-FC dt 29/01/2018.	शर्त सं. 21 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा दण्डात्मक राशि 344801/- रु दिनांक 21.02.2024 को आनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति संलग्न की गई है।
22	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	शर्त सं. 22 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वाईलेशन किया गया है तथा दण्डात्मक राशि 344801/- रु दिनांक 21.02.2024 को आनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति संलग्न की गई है।
23	Any other condition that the Ministry of Enviornment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and developoment of forests & wildlife.	शर्त सं. 23 की अनुपालना में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यदि अन्य शर्तें /नियम लागु करती है तो उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा समय - समय पर उनका पालन किया जायेगा।
24	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त सं. 24 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा अनुपाल रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गई है। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
25	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त सं. 25 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा उपर उल्लिखित शर्तों की पूर्ति कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार- 3 सेट

भवदीय

(रामकरण खैरवा),

संघातीय मुख्य वन संरक्षक
कच्चा

Signature valid

RajKaj Ref
11383072

Digitally signed by Ram Karan Khairwa
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.10.24 11:14:25 IST
Reason: Approved

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2024-25/6173-74

दिनांक: 25.10.2024

प्रतिलिपि:-1. उप वन संरक्षक, बूंदी को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

2. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, छबडा जिला बारां।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

RajKaj Ref
11383072

Signature valid

Digitally signed by Ram Karan Khairwa
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.10.24 17:14:25 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक बारा

दिनांक :- 17-10-24

क्र.सं. क्रमांक 8389

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,

कोटा

विषय :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot to Madnakheri

संदर्भ :- Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015 की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक 8B/Raj./06/35/2015/FC/857 Dt. 03.09.2020 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।


शर्त संख्या	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट का विवरण
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा आवश्यक गैर वन भूमि सौंपने के बाद ही वन भूमि पर कार्य किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department over 2.27 ha equivalent non-forest land in (Compartment Khasra No. Not provided, Village Sorsan, Tehsil Anta, District Baran) at the cost of the user agency. As far as possible. A mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	शर्त सं. 3 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी की लागत पर 2.27 हेक्टेयर समतुल्य गैर वन भूमि (कम्पार्टमेंट खसरा नम्बर 1173 प्रदान कर दिया गया है।, ग्राम सोरसन तहसील अन्ता जिला बारा) पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहाँ तक संभव हो। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का मिश्रण लगाया जाएगा और किसी भी प्रजाति की मोनोकल्चर से बचा जा सकता है। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
4	The non-forest land has to be transferred and matated in favour of the State Forest Department.	शर्त सं. 4 की अनुपालना में गैर वन भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित और परिवर्तित कर दिया गया है। प्रति संलग्न है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त सं. 5 की अनुपालना में यूजर एजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 509850/-रु दिनांक 21.02.2024 को कारपोरेशन बैंक में आनलाईन जमा करा चालान की प्रति संलग्न की गई है।

6	<p>The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.27 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003. as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.</p>	<p>शर्त सं. 6 की अनुपालना में राज्य सरकार को 2.27 हेक्टेयर के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राशि 2174160.60 चालान द्वारा दिनांक 21.02.2024 को जमा करा चालान की प्रति संलग्न की गई है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 30.10.2022, 01.08.2023, 28.03.2008, 24.04.2008 के आदेश के अनुसार उपयोक्ता एजेन्सी से इस प्रस्ताव के तहत वन क्षेत्र को डायवर्ट किया जाना है। 09.05.2008 को आईए संख्या 566 में डब्ल्यूपी (सी) संख्या 202/1995 में और मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या 5-1/1998 एफसी दिनांक 18/09 के तहत जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार 2003 साथ ही इस संबंध में पत्र संख्या 5-2/2006 एफसी दिनांक 03/10/2006 5-3/2007-एफसी दिनांक 05/02/2009 इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।</p>
7	<p>Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee. Shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.</p>	<p>शर्त सं. 7 की अनुपालना में एन.पी.वी की दरों में बढ़ोतरी होने पर बढ़ी हुई राशि यूजर एजेन्सी द्वारा जमा कराई जायेगी। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।</p>
8	<p>The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.</p>	<p>शर्त सं. 8 की अनुपालना में एफ.आर.ए का पूर्ण अनुपालन 2006 संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से तैयार करवाकर संलग्न कर दिया गया है।</p>
9	<p>User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.</p>	<p>शर्त सं. 9 की अनुपालना में उपयोक्ता एजेन्सी द्वारा आई.आर.सी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों और केंद्रीय कगार पर पट्टी वृक्षारोपण करा दिया जायेगा। परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के तकमीने में नहीं लिया गया है। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।</p>
10	<p>Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas / Forest Area.</p>	<p>शर्त सं. 10 की अनुपालना में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्र में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे गति नियामक साइनेज उपयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के खर्चे पर लगा दिए जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।</p>
11	<p>The user agency shall provide suitable under over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.</p>	<p>शर्त सं. 11 की अनुपालना में उपयोक्ता एजेन्सी द्वारा सी.डब्ल्यू. एल.डब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अण्डर ओवर पास बना दिये जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।</p>
12	<p>User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the Provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.</p>	<p>शर्त सं. 12 की अनुपालना में उपयोक्ता एजेन्सी यदि लागू होगी तो उपयोक्ता एजेन्सी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर लेगी। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।</p>

13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त सं. 13 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, परिवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर जमीन पर उपयुक्त सीमांकित कर दिया गया है। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
14	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त सं. 14 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
15	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त सं. 15 की अनुपालना में प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
16	Sufficient firewood. Preferably the alternate fuel. Shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त सं. 16 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा पर्याप्त जलाऊ लकड़ी अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन। श्रमिक को राज्य वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद ही प्रदान किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	शर्त सं. 17 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना कार्य के क्रियान्वयन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त नये पथ का निर्माण बिना स्वीकृति के नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
18	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life. Whichever is less.	शर्त सं. 18 की अनुपालना में इस अनुमोदन के तहत डायवर्जन की अवधि उपयोगकर्ता एजेन्सी या परियोजना जीवन के पक्ष में दिए जाने वाले पट्टे की अवधि के साथ सहवर्ती होगी जो भी कम हो। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त सं. 19 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	शर्त सं. 20 उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा डायवर्ट की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
21	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the Moff&CC Guideline F.No. 11-42-2017-FC dt 29/01/2018.	शर्त सं. 21 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा दण्डात्मक राशि 344801/- रु दिनांक 21.02.2024 को आनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति संलग्न की गई है।

22	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	शर्त सं. 22 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वाईलेशन किया गया है तथा दण्डात्मक राशि 344801 /- रु दिनांक 21.02.2024 को आनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति संलग्न की गई है।
23	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forests & wildlife.	शर्त सं. 23 की अनुपालना में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यदि अन्य शर्तें /नियम लागू करती है तो उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा समय - समय पर उनका पालनप किया जायेगा।
24	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त सं. 24 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा अनुपाल रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गई है। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 633 दिनांक 09.09.2024 को अण्डर टेकिंग प्रेषित की गई है।
25	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त सं. 25 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा उपर उल्लिखित शर्तों की पूर्ति कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न :- समान्यार वन में उकाशित स्वीहारे की प्रति


(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक
प्रतिलिपी - प्रधान मुख्य वन संरक्षक FCA नोडल अधिकारी जयपुर ।

दिनांक

वाइस

1
(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्र.स.
सेवा नं.

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, छबड़ा
683

दिनांक :- 09/09/2020

श्रीमान उपवन संरक्षक
बारों

विषय :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot to Madnakheri

प्रसंग :- Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015 की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक
8B/Raj./06/35/2015/FC/857 Dt. 03.09.2020 के क्रम में

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में
Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot to Madnakheri हेतु वन
भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु विन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

शर्त संख्या	विन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट का विवरण
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त सं. 25 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा उपर उल्लिखित शर्तों की पूर्ति पर राज्य सरकार के अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा-2 के अनुसार, केन्द्र सरकार की अंतिम/चरण -द्वितीय मंजूरी 1980 प्रदान की जाये। सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा आवश्यक गैर वन भूमि सौंपने के बाद ही वन भूमि पर कार्य किया जायेगा।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department over 2.27 ha equivalent non-forest land in (Compartment Khasra No. Not provided, Village Sorsan, Tehsil Anta, District Baran) at the cost of the user agency. As far as possible. A mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	शर्त सं. 3 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी की लागत पर 2.27 हेक्टेयर समतुल्य गैर वन भूमि (कम्पार्टमेंट खसरा नम्बर 1173 प्रदान कर दिया गया है। ग्राम सोरसन तहसील अन्ता जिला बारों) पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहाँ तक संभव हो। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का मिश्रण लगाया जाएगा और किसी भी प्रजाति की मोनोकल्चर से बचा जा सकता है।
4	The non-forest land has to be transferred and matated in favour of the State Forest Department.	शर्त सं. 4 की अनुपालना में गैर वन भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित और परिवर्तित कर दिया गया है। प्रति संलग्न है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त सं. 5 की अनुपालना में प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत और सीए भूमि पर यदि आवश्यक हो तो सर्वेक्षण, सीमांकन और स्थायी स्तम्भों के निर्माण की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा वन विभाग के पास अग्रिम रूप से जमा करा दी जायेगी तथा सीए को 10 वर्षों तक बनाए रखा जाएगा यदि इस योजना में आगामी वर्षों के लिए निर्धारित कार्यों के लिए अनुमानित लागत में यदि वृद्धि होती है तो एजेंसी द्वारा उक्त वृद्धि को जमा करा दिया जायेगा।

6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.27 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	शर्त सं. 6 की अनुपालना में राज्य सरकार को 2.27 हेक्टेयर के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राशि 2174160.60 चालान द्वारा दिनांक 21.02.2024 को जमा करा दी गई है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 के आदेश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेन्सी से इस प्रस्ताव के तहत वन क्षेत्र को खायवर्ट किया जाना है। 09.05.2008 को आईए संख्या 566 में डब्ल्यूपी (सी) संख्या 202/1995 में और मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या 5-1/1998 एफसी दिनांक 18/09/03 के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 2003 साथ ही इस संबंध में पत्र संख्या 5-2/2006 एफसी दिनांक 03/10/2006 और 5-3/2007-एफसी दिनांक 05/02/2009।
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee. Shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त सं. 7 की अनुपालना में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद खायवर्ट वन भूमि की एनपीवी की अतिरिक्त राशि 854651.40 चालान द्वारा दिनांक 21.02.2024 को उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा उपयुक्त राशि को जमा करा दिया गया है।
8	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त सं. 8 की अनुपालना में एफआरए का पूर्ण अनुपालन 2006 संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से तैयार करवाकर संलग्न कर दिया गया है। प्रति संलग्न है।
9	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	शर्त सं. 9 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों और केंद्रीय कमान पर पट्टी वृक्षारोपण करा दिया जायेगा। परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के तकमीने में नहीं लिया गया है।
10	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas / Forest Area.	शर्त सं. 10 की अनुपालना में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्र में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे गति नियामक साइनेज उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के खर्चे पर लगा दिए जायेंगे।
11	The user agency shall provide suitable under over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.	शर्त सं. 11 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अण्डर ओवर पास बना दिये जायेंगे।
12	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the Provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	शर्त सं. 12 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी यदि लागू होगी तो उपयोगकर्ता एजेन्सी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर लेगी।
13	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त सं. 13 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, परिवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर जमीन पर उपयुक्त सीमांकित कर दिया गया है।
14	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त सं. 14 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

15	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त सं. 15 की अनुपालना में प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
16	Sufficient firewood. Preferably the alternate fuel. Shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त सं. 16 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा पर्याप्त जलाऊ लकड़ी अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन। श्रमिक को राज्य वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद ही प्रदान किया जायेगा।
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	शर्त सं. 17 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना कार्य के क्रियान्वयन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त नये पथ का निर्माण बिना स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
18	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to the be granted in favour of the user agency or the project life. Whichever is less.	शर्त सं. 18 की अनुपालना में इस अनुमोदन के तहत डायवर्जन की अवधि उपयोगकर्ता एजेन्सी या परियोजना जीवन के पक्ष में दिए जाने वाले पट्टे की अवधि के साथ सहवर्ती होगी जो भी कम हो
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त सं. 19 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without priour approval of Govt. of India.	शर्त सं. 20 उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा डायवर्ट की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
21	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the Moff&CC Guideline F.No. 11-42-2017-FC dt 29/01/2018.	शर्त सं. 21 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन(संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है तो 1980 एवं Moff&CC गाइडलाइन एफ नं. के अनुसार उपयोगकर्ता एजेन्सी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। 11-42-2017 एफसी दिनांक 29.01.2018।
22	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	शर्त सं. 22 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा संबंधित डीएफओ से एफसीए प्रमाण पत्र का कोई उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
23	Any other condition that the Ministry of Enviornment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forests & wildlife.	शर्त सं. 23 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के तहत प्राप्त सभी धनराशि केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से कैम्पा फंड में स्थानान्तरित कर दी गयी है।
24	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त सं. 24 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा अनुपाल रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी जायेगी।
25	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त सं. 25 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा उपर उल्लिखित शर्तों की पूर्ति पर राज्य सरकार के अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा-2 के अनुसार, केन्द्र सरकार की अंतिम/चरण -द्वितीय मंजूरी 1980 प्रदान की जाये।


(नरेन्द्र सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 अधिशासी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
 नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1
की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं
किया जायेगा ।


(सरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

दिनांक :

क्रमांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2
की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा आवश्यक गैर वन भूमि सौंपने
के बाद ही वन भूमि पर कार्य किया जायेगा।

(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot of Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी की लागत पर 2.27 हेक्टेयर समतुल्य गैर वन भूमि (कम्पार्टमेंट खसरा नम्बर 1173 प्रदान कर दिया गया है।, ग्राम सोरसन तहसील अन्ता जिला बारों) पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहाँ तक संभव हो। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का मिश्रण लगाया जाएगा और किसी भी प्रजाति की मोनोकल्चर से बचा जा सकता है।


(नरेंद्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा.नि.वि. खण्ड - छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की
अनुपालना में गैर वन भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित और परिवर्तित कर दिया
जायेगा।


(**जिन्द सिंह**)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा० नि० वि० खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत और सीए भूमि पर यदि आवश्यक हो तो सर्वेक्षण, सीमांकन और स्थायी स्तम्भों के निर्माण की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा वन विभाग के पास अग्रिम रूप से जमा करा दी जायेगी तथा सीए को 10 वर्षों तक बनाए रखा जाएगा यदि इस योजना में आगामी वर्षों के लिए निर्धारित कार्यों के लिए अनुमानित लागत में यदि वृद्धि होती है तो एजेंसी द्वारा उक्त वृद्धि को जमा करा दिया जायेगा।


(जिरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
जिला बारों

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में राज्य सरकार को 2.27 हेक्टेयर के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राशि 2174160.60 चालान द्वारा दिनांक 21.02.2024 को जमा करा दी गई हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 30.10.2022, 01.08.2023, 28.03.2008, 24.04.20087 के आदेश के अनुसार उपयोक्ता एजेसी से इस प्रस्ताव के तहत वन क्षेत्र को डायवर्ट किया जाना है। 09.05.2008 को आईए संख्या 566 में डब्ल्यूपी (सी) संख्या 202/1995 में और मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या 5-1/1998 एफसी (पीटीII) दिनांक 18/09 के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 2003 साथ ही इस संबंध में पत्र संख्या 5-2/2006 एफसी दिनांक 03/10/2006 और 5-3/2007-एफसी दिनांक 05/02/20091


(निशु सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद डायवर्टेड वन भूमि की एनपीवी की अतिरिक्त राशि 854651.40 चालान द्वारा दिनांक 21.02.2024 को उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा उपयुक्त राशि को जमा करा दिया गया है।


(**नन्द सिंह**)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में एफआरए का पूर्ण अनुपालन 2006 संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से तैयार करवाकर संलग्न कर दिया गया है। प्रति संलग्न है।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
नि.वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot of Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों ओर केंद्रीय कगार पर पट्टी वृक्षारोपण करा दिया जायेगा। परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के तकमीने में नहीं लिया गया है।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा० नि० वि० खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्र में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे गति नियामक साइनेज उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के खर्च पर लगा दिए जायेंगे।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा. नि. वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में उपयोग कर्ता एजेन्सी द्वारा सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अण्डर ओवर पास बना दिये जायेंगे।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा.नि.वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी यदि लागू होगी तो उपयोगकर्ता एजेन्सी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर लेगी।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा.नि.वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot ot Madnakheri (Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में उपयोग कर्ता एजेन्सी द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, परिवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर जमीन पर उपयुक्त सीमांकित कर दिया गया है।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा० नि० वि० खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की
अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का
लेआउट प्लान नहीं बदला जायेगा।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की अनुपालना में प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
आधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
जिला बारों

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा पर्याप्त जलाऊ लकड़ी अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन। श्रमिक को राज्य वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद ही प्रदान किया जायेगा।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा.नि.वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 17 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना कार्य के क्रियान्वयन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त नये पथ का निर्माण बिना स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।


(सरेंद्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा.नि.वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 18 की अनुपालना में इस अनुमोदन के तहत डायवर्जन की अवधि उपयोगकर्ता एजेंसी या परियोजना जीवन के पक्ष में दिए जाने वाले पट्टे की अवधि के साथ सहवर्ती होगी जो भी कम हो


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
जिला बारों

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 19 की अनुपालना में
उपयोगकर्ता एजेंन्सी द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के
अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा.नि.वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 20 उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा डायवर्ट की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की किया जायेगा।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा० नि० वि० खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 21 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन(संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है तो 1980 एवं **Moff&CC** गाइडलाइन एफ नं. के अनुसार उपयोगकर्ता एजेन्सी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। 11-42-2017 एफसी दिनांक 29.01.2018


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सां. नि. वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 22 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा संबंधित डीएफओ से एफसीए प्रमाण पत्र का कोई उल्लंघन नहीं किया जायेगा।


(नरिन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
नि० वि० खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 23 की
अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के तहत प्राप्त सभी धनराशि केवल
ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) के माध्यम से कैम्पा फंड में स्थानान्तरित कर दी गयी
है।


(नरेन्द्र सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot ot Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 24 की अनुपालना में
उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर
अपलोड कर दी जायेगी।

Dirmh'
(**नरेंद्र सिंह**)
अधिशाषी अभियन्ता
आधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा.नि.वि. खण्ड-छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा जिला बारों


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road
from Hinglot of Madnakheri
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/10911/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 25 की अनुपालना में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा उपर उल्लिखित शर्तों की पूर्ति पर राज्य सरकार के अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा-2 के अनुसार, केन्द्र सरकार की अंतिम/चरण -द्वितीय मंजूरी 1980 प्रदान की जाये।

(
हरिन्दर सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
सा.नि.वि. खण्ड-छबड़ा

TV NO:- 64466
Date:- 21/02/2024

Reference No: 50171845

Government Of Rajasthan
WAM Iner/outer sheet

Month/Year : Jan/2024

Department Code : 65

Department Name : Public Works Department

Detailed Wam bill of : EX.EN; P.W.D. Div. CHHABARA(9086)

OfficelD : 9086

Bill For Works Payment WAM Payment

Reference No : 3871651

Wam Reference No : #1/1 of 884790

Division Name : PWD CHHABRA

Division Code : 116

Bill No : 50171849

Date : 24/01/2024

Demand No : 44

DDOCode : 9086

TAN : JDHE00491B

Object Head : 21

Budget Head : 3054-04-800-02-01/SF/V

SF : 3028812.00 NonPlan : 0.00

NA : 0.00

ContingencyHead :

To,

The Treasury/Sub Treasury Officer, CHHABRA

Please Order to pay ₹ 3028812 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk

Sign of DA

Sign of Divisional Officer

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limites of online allotted budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.



Digitally signed by NARENDRA SINGH
Date: 2024.01.20 20:15:13 +05:30
Reason: NARENDRA SINGH

Sign (With Seal)

Digital ESign of DDO

9414330683

Sr.No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Deduction Amt
1	RAJASTHAN CAMPA JAIPUR 9414330683	UNION BANK OF INDIA 150856110911432 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	3028812.00 3028812.00	3871651	

Gross Amount Rs. 3028812.00

B.T.Amount: Rs.

Net Amount:Rs. 3028812.00

Amount In Words : THIRTY LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED TWELVE Only



Digitally signed by NARENDRA SINGH
Date: 2024.01.20 20:10:14 +05:30
Reason: NARENDRA SINGH

Sign Of DDO with

Digital ESign of DDO

For Accountant General Office

Treasury Voucher

Admitted ₹
Objected ₹

No:
Pay ₹ : 3028812.00

Date

(In Words) : THIRTY LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED TWELVE ONLY

B.T. Heads :

Total
(In Cash) ₹ : 3028812.00
(In Words) : THIRTY LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED TWELVE ONLY

Auditor

Supt

Gaz Officer

Auditor

AAO-III

Treasury/Sub Treasury Officer ESign

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jaipur

Bill No. & Date:

PayManager Ref. Id(s): 3871651

BillRef No.: 1028, Dated: 24/01/2024

Division Name: EX.EN. P.W.D. Div. CHHABARA

Division Code: 9086

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: Hinglot to Madnakhedi via Haripura Bishankheda Road

Vendor Name: RAJASTHAN CAMPA

Sanction/Autorization/BillNo: 8B/RAJ/06/35/2015/FC Dated: 23/01/2024

Reason: N/a

Bank AccountNo.- 150856110911432

Bank IFSC Code: UBIN0996335

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 30,28,812
(In Words) Rupees Thirty Lakh Twenty Eight Thousand Eight Hundreds Twelve Only

Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	3054-04-800-02-01-21-V-P	3028812	WorkId: 177683

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
-------	-----------	--------	---------

This Bill will break in following part(s) for PayManager (Fisrt column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3871651	3054-04-800-02-01-21-V-P		3028812	WorkId: 177683
	Payment Through Treasury	3028812		

Net Amount Payable in Figures: 30,28,812

Net Amount Payable In Words: Rupees Thirty Lakh Twenty Eight Thousand Eight Hundreds Twelve Only

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

Raykomar
स्वीडिय लेखाकार
सांनिवि० खण्ड छबड़ा

Raykomar
अधिकाशी अधिकारी
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा
डी.डी.ओ. कोड : 9086

Raykomar
खंडीय लेखाकार
सांनिवि० खण्ड छबड़ा

Raykomar
अधिशायी अभियन्ता
सा.मि.वि. खण्ड छबड़ा
डी.डी.ओ. कोड : 9086

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-01-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV CHHABRA
Application No.	6110911432
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/35/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, PWD DIV CHHABRA Baran
Amount(in Rs)	3028812/-

Amount in Words :Thirty Lakh Twenty-Eight Thousand Eight Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856110911432 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-01-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV CHHABRA
Application No.	6110911432
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/35/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	EXECUTIVE ENGINEER, PWD DIV CHHABRA Baran
Amount(in Rs)	3028812/-

Amount in Words :Thirty Lakh Twenty-Eight Thousand Eight Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856110911432 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Verified for ₹ 3028812/- Only

Only

सहायक अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड-I, बबरा

Passed for Rs. 30,28,812/- only
(Rs. Thirty Lakh Twenty Eight
Thousand Eight Hundred Twelve
only)

CH: to: 3054 - RRM

Signature
अधिसाधी अभियन्ता

सा० नि० वि० खण्ड-बबरा

Signature

Land to be allotted to Forest Department

As on 11.09.2014

PWD circle Baran

S No.	Name Of Division	Name Of Tahsil	Name of Scheme	Name of Plot	Area to be allotted to Forest Department (in hectare)	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Old Cases						
1	Chhabra	Chipaberoad	PMGSY	घाटरी से भटगाव	1.50	
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	मामली से मोहनपुर	2.60	
				योग	4.10	
New Cases						
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिंगलोट से मदनखेड़ी बाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनावदा सड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्वा से खल्वा	0.61	✓
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कादीली से सातखंडा	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	मामीपुरा से जैतपुरा	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	डिकोनिया से कलवाड़ा	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहलपुरा से झिरी	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	विधी से रामपुर उपरटी	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच-76 किमी. 573/0 से धुआँ	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	रंजपुर से बराह	0.55	✓
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	बरडा से जैसवा	4.00	
12	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (RSAMB)	कनवाधाना से बगलगाँव	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी कंदारकुई से सिलौरा	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खवादा से हरिपुरा	1.00	✓
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाड़ा से किशनपुरा	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरखपुरा से घट्टा	0.50	✓
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	घण्टेला से हलावनी	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखंडा डांग से पाटम	1.00	✓
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	कंदारकुई से मुहाल	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	बंजरगड से रमावली	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवाली से रनवाला	0.80	✓
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरखपुरा से कालीमटी	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगड काला पट्टा सड़क किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	कटरवी खुर्द से रामनरह	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लखवाड़ा से मामली काण दुर्जनपुरा	1.00	✓
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपटी सड़क	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	रंजपुर मुकंदवर सड़क (रंजपुर उपरटी) से ईसावारी	4.00	
28	NH Division	Atu	NH	जंजई	3.20	
29	NH Division	Atu	NH	खेडली गाविस	1.02	
30	NH Division	Atu	NH	सिंगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipaberoad	NH	बरडवादा	0.44	
32	NH Division	Chipaberoad	NH	कालवा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipaberoad	NH	मदनपुरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

1. घाटरी से मदनखेड़ी
2. कालवा जागीर से बरडवादा

(सुनिल गंधर्व)
 जमीन अधिपति
 सांविधिक वृत्त बीर

वनविभाग, बारा (राजस्थान)

क्या दिनांक 3.12.2014 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा की बैठक आहूत की गई जिसमें वन क्षेत्र में पड़ने वाले सड़कों के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की भावना), अधिनियम 2006 में प्रस्तावित वन भूमि जिसके प्रस्ताव ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों व उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों से इस आशय से प्राप्त हुए हैं कि इन प्रस्तावित वन भूमियों के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। निम्न प्रस्तावों पर बैठक में विचार किया गया।

इन प्रस्तावों के अवलोकन व परीक्षण करने से पाया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों के प्रस्तावों से यह विदित हो चुका है कि निम्न प्रस्तावित वन भूमियों के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। अतः प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र(फार्म-1) में प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अनुशासा की जाती है।

क्र.सं.	भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावित भूमि	उपखण्ड सीमा/नाका	प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)	ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक	उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक
1	कोटा घरनावदा सड़क सी0सी0 निर्माण कार्य ग्राम-चावौडा कि.मी. 132/500 से 134/200	छबडा	7.166	18.9.2014	20.10.2014
2	कोटा घरनावदा सड़क निर्माण कि.मी. 134/200 से 137/500	छबडा	6.418	16.10.2014	20.10.2014
3	हिंगलोट से मदनखेडी सड़क	छबडा	3.00	9.10.2014	20.10.2014

(समस्वरूप बड़गुर्जर)
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पट्टेन परियोजना अधिकारी-माडा जिला परिषद, बारा

(सुनिल चिद्री)
उप वन सहायक
बारा

(ललित कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति बारा

FORM-1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No- 29/2014

Dated- 3 Dec.,2014

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.00 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Bharat Lal Meena Executive engineer Public Works Department Div.- Chabra** (name of user agency) for **Construction of Road Work From Hinglot to Madna Kheri** (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of Pali village(S) in Chabra tehsils.

It is Further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-(A) to annexure-(B)
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section, 3(2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it,
- (c) the proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and pro agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(Lalit Kumar Gupta)

President of District Level committees &

(Lalit Kumar Gupta)
Collector & D.M.



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
 क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
 Ministry of Environment, Forest & Climate Change
 Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, 8th Floor, Sector 14, Gurgaon, Lucknow 226024, Telefax-2326696
 E-mail: envz.the.mof@gov.in, envr@rediffmail.com

12-07-03-09-2020

पत्र संख्या: एफ/राज/06/35/2015/एफ.सी/857

संका में,
 शारान सचिव(वन),
 राजस्थान शासन,
 सिविल सचिवालय,
 जयपुर, राजस्थान।

Online Proposal No.- FP/RAJ/ROAD/10911/2015

विषय: Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot to Madnakheri in Rajasthan in Baran Forest Division.

सन्दर्भ: शारान सचिव, राजस्थान का पत्रांक प.1(74)वन/2015, जयपुर, दिनांक 20.08.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक अतिप्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर के पत्रांक सं० एफ-14(2015/4स/प्रमुयरा/590 दिनांक 23.07.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयवित्त प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण के परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयवित्त परियोजना हेतु कुल 2.27 हे० सरकारी वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्ष पातन की रोडवर्तिका स्वीकृति निर्मातलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 2.27 ha equivalent non-forest land in (Compartment Khasra No. Not provided, Village Sorsan, Tehsil Anta, District Baran) at the east of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
4. The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department.
5. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
6. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.27 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.01.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.
7. Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
8. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
9. User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.

Diverted regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Area Forest Area.

User agency shall provide suitable under over pass in Protected Area Forest Area as per recommendations of CWLW NBWL FAC REC

User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

No labour camp shall be established on the forest land

Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel

No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

1. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

2. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

3. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

11. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42 2017-FC dt 29/01/2018.

22. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.

23. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

24. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

25. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

After receipt of the compliance report from the State Government on fulfillment of the conditions mentioned above, final stage-II approval of the Central Government, in accordance with Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, will be accorded.

भवदीय,

(प्राची गंगवार)

रूप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिनिधि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. रूप वन संरक्षक (एफसी) एवं नाइल अधिकारी, वन विभाग, अस्थायी भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जगपुर, जयपुर।
2. रूप वन संरक्षक, जिला कार्यालय, जयपुर।
3. राज्य वन विभाग, राजधानी जयपुर-सादर निवेदन द्वारा राजधानी।
4. राज्य वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ एवं वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आवश्यक कार्यवाही।

(प्राची गंगवार)

रूप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

Copy of letter No.F.7 (1263)Sec.II/2008/D. 951 Dated 08-10-08 received from Addl. Secretary to Govt., PWD, Raj. Jaipur addressed to the Chief Engineer, PWD, Rajasthan, Jaipur.

Sub: - Administrative & financial sanction for Construction of road from Hinglot to Madankheri via Haripura, Madankheri in district Baran of Rajasthan under Rural Road during the year 2008-09.

I am directed to convey administrative & financial sanction of the Government for construction of road from Hinglot to Madankheri via Haripura, Madankheri in district Baran of Rajasthan under Rural Roads at an estimated cost of Rs.259.26 laes.

The expenditure will be charged to the Budget Head- "5054-Capital Outlay on Road & Bridges - 04 - Distt. & Other Roads - 800 - Other Expenditure - (02) - Other Road Construction Programme -[01] - Rural Roads - 74 - Construction of Road & Bridges Expenditure (Plan)" and expenditure shall be restricted within the over all Plan Ceiling of Road Sector during the current financial year and subsequent year.

This bears with concurrence of Finance(Exp.III) Deptt., vide I.D. No.1485/ FD(Exp.III)/2008 dated 08.09.2008.

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, PWD, RAJASTHAN, JAIPUR.

No.F.7 (1263) Sec.II/2008/D. 951

Dated 08/10/2008

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Addl. Chief Engineer, PWD, Zone - Kota.
2. Superintending Engineer, PWD, Circle - Baran.
3. Executive Engineer, PWD, Dist. Chhabra.
4. PA to CE(R-1)/ S(E) C.E.(P&M-1 to V)/ DDS/ Budget Clerk/ Compilation Clerk/ DA (Plan), CE's Office, PWD, Raj., Jaipur.

In the estimate and all other future reference in regards to this sanction and also while making any expenditure against the sanctioned work and showing the same in monthly accounts of the Division. The Job No.132/5054/Rural Roads/Plan/2008-09 as assigned may invariably be written against the nomenclature of the sanctioned works.

The sanctioned cost is inclusive of percentage charges.

[Signature]
CHIEF ENGINEER, PWD,
RAJASTHAN, JAIPUR.

As (road)

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न राहक परियोजनाओं के अन्तर्गत जिनका क्रमांक द्वारा आदेश क्रमांक 724-26 दिनांक 07.02.2017 से विज्ञानुसार गैर वनभूमि (103.40 हे०) वन विभाग को वापस आवंटित की गई है।

उपरोक्त अन्तः मामल संरक्षण की जिम्मेदारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वापस की कार्य को उपयुक्त है यह वनभूमि से खसवा है इसमें किसी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण एवं व्यापक प्रकरण विचारणीय नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि सूचक एकत्री से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	वर्गीकृत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1		संरक्षण	1175	19.76
			1173	19.15
		योग	2 कित्ता	38.91

हस्ताक्षर जमीन का वाज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

- 1 वनसंरक्षक
- 2 वाक्य प्रमाणी
- 3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

हस्ताक्षर जमीन का वाज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

- 1 वनसंरक्षक
- 2 वाक्य प्रमाणी


राजीव कपूर
रूप वन संरक्षक
बाराँ

राजीव कपूर
रूप वन संरक्षक
बाराँ

अशोक साहय
(अशोक साहय)
अतिरिक्ती अभियन्ता
रा.मि.वि. खण्ड भागबंद

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHASRA NO.: 39,41,42,114,115,116,136,149 (Village: BLANDI) KHASRA NO.: 1173,1175 (Village: SONOH) KHASRA NO.: 368 (Village: THAKA)
 Tehsil : ANTA, Distt. BARAN



KHASRA DETAIL		
Khasra No.	Area in Hect.	VILLAGE
39	1.50	BLANDI
41	2.50	
42	2.00	
114	0.80	
115	0.80	
136	7.50	
149	11.50	SONOH
1173	28.18	
1175	25.75	THAKA
368	2.50	

Revised Certificate Order 29/14 Dated 3-12-2014

FORM-1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No- 4/2016

Dated- 25 Jan.,2016

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.27 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Shri Mukesh Gupta Executive engineer Public Works Department Div.-Chabra (name of user agency) for Construction of Road Work From Hinglot to Madna Kheri (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of Pali village(S) in Chabra tehsils.

It is Further certified that:

- (d) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.27 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-(A) to annexure-(C)
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section, 3(2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it,
- (f) the proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and pro agricultural Communities.

Encl; As above

Signature

(Lalit Kumar Gupta)
President of District Level committees &
District Collector, Baran
अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा

आज दिनांक 05/11/2015 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली सड़क हिंगलोट से मदनारखड़ी जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द है उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि में सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्वसम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवम् किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सड़क बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों को गान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार मत्र जारी नहीं हुआ है। ना ही वर्तमान में कोई लग्ग है। इस वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिया गया है ना ही कोई दावा वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 14,15 पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई। अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशप्ता की जाती है।

वन विभाग की भूमि का विवरण

उसरा नं	क्षेत्रफल	गाँव का नाम
229	0.17 Hect	हिंगलोट
227	0.40 Hect	हिंगलोट
161	0.07 Hect	विशनखेड़ा वन
345	0.57 Hect	विशनखेड़ा वन
346	0.41 Hect	विशनखेड़ा वन
178	0.26 Hect	मदनारखड़ी
167/588	0.39 Hect	मदनारखड़ी
Total	2.27 Hect	

05/11/15
 सारणच गौरी प्रजापत
 ग्राम पञ्चसूत पाली
 पं. सं. 10/15/15 (ग्राम सभा)

05/11/15
 सारणच गौरी प्रजापत
 ग्राम पञ्चसूत पाली
 पं. सं. 10/15/15 (ग्राम सभा)

आज दिनांक 16/11/2015 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति से वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क हिंगलोट से मदनाखेड़ी के लिए प्राप्त प्रस्ताव जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय समिति हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है, ना ही वर्तमान में कोई लम्बित है। अतः सर्वसम्पत्ति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशप्ता की जाती है।

वन विभाग की भूमि का विवरण : ग्राम पंचायत पाली

खसरा न.	क्षेत्रफल	गाँव का नाम
229	0.17 Hect	हिंगलोट
227	0.40 Hect	हिंगलोट
161	0.07 Hect	विशनाखेड़ा चैन
345	0.57 Hect	विशनाखेड़ा चैन
346	0.41 Hect	विशनाखेड़ा चैन
178	0.26 Hect	मदनाखेड़ी
167/588	0.38 Hect	मदनाखेड़ी
Total	2.27 Hect	

उप खण्ड अधिकारी
हवाड़ा जिला वन (राज.)
उपखण्ड हवाड़ा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
हवाड़ा

विकास अधिकारी
पं.स. हवाड़ा

सहायक वन संरक्षक
दीपाखेड़ा

Compressor Free Version

2- अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा-

क्र.सं.	यूजर एजेंसी का नाम	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	पूर्व में पारित प्रस्ताव दिनांक	प्रस्तावित भूमि का विवरण		संशोधित प्रस्ताव हेतु ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुमोदन दिनांक	संशोधित हेतु हेतु वनाधिकार अनुमोदन दिनांक
				पूरुत में प्रस्ता. रकबा	संशोधित रकबा		
1	अधिशासी सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा	कोटा 54x144 सड़क किमी. 132/500 से 134/200	27/2014	7.168 हे०	6.989 हे०	10.11.2015	10.11.2015
2	अधिशासी सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा	कोटा बरनावरा केमो 132/200 से 137/500	3.12.2014	6.416 हे०	6.583 हे०	10.11.2015	10.11.2015
3	अधिशासी सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा	हेगलोड से नदनाजोडी सड़क	3.12.2014	3.00 हे०	2.27 हे०	10.11.2015	10.11.2015

(ललित कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं जिला मजबूत
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, वाराणसी
अध्यक्ष एवं जिला मजबूत
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, वाराणसी

(महेश चन्द शर्मा)
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पटेल नरेंद्रजी अतिकारी-माडा जिला नरसिंग, वाराणसी
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पटेल
परिशो अतिकारी-माडा जिला नरसिंग, वाराणसी

(मिलाला गीमा)
स्वयंसेवा केन्द्र स्तरीय वनाधिकार समिति, वाराणसी